कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी जौरा,
जिला–मुरैना (म.प्र.)

1547

प्र.क्र. 39/17–18/अ–82/भू–अर्जन/रेल्वे/चिरायतनी मुरैना, दिनांक 16/8/2021

सूचना–पत्र

(भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)
उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर (म.प्र.)
बनाम
रामहेत पुत्र ल्होरे नांबा. सर. पिता खुद आदि।
ग्राम– **चिरायतनी** तहसील जौरा व जिला मुरैना

द्वारा :– तहसीलदार परगना जौरा जिला मुरैना

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू–अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम **चिरायतनी** तहसील जौरा जिला मुरैना मे स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रक्वा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेल्वे लाईन से बड़ी रेल्वे लाईन के निर्माण के लिऐ स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू–अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे कमांक के संबध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक का भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तद्नुसार निम्न तालिका में भू–अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक 16-9-21 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिभाषसक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू–अर्जन शांखा मुरैना/उप मुख्य इन्जीनियर निर्माण उ0म0 रेलवे ग्वालियर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 16/9/21 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

स. क.	राजस्व वृत/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा हे. में		
			सिचिंत	असिचिंत	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत–04/पटवारी हल्का–/ग्राम– चिरायतनी /तहसील जौरा जिला मुरैना				
1		560	0.101	निरंक	कृषि
2		561/1	0.167	निरंक	कृषि
3		572/1	0.122	निरंक	कृषि
4		574	0.112	निरंक	कृषि
5		726	0.058	निरंक	कृषि
6		703/1	0.162	निरंक	कृषि
7		703/2	0.130	निरंक	कृषि
8		703/4	0.020	निरंक	कृषि
9		727	0.087	निरंक	कृषि
10		729	0.279	निरंक	कृषि
11		742	0.012	निरंक	कृषि
12		744	0.049	निरंक	कृषि
13		745	0.061	निरंक	कृषि
14		746	0.120	निरंक	कृषि
15		747	0.029	निरंक	कृषि
16		748	0.123	निरंक	कृषि
17		751	0.015	निरंक	कृषि
18		752	0.050	निरंक	कृषि
19		753	0.161	निरंक	कृषि
20		756	0.013	निरंक	कृषि

21		757	0.026	निरंक	कृषि
22		765	0.053	निरंक	कृषि
23		766/1	0.004	निरंक	कृषि
24		767/1	0.049	निरंक	कृषि
25		868	0.017	निरंक	कृषि
	योग		**2.020**		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू–अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 16-8-21 को जारी किया गया।

स्थान : जौरा
तारीख : 16/8/21

1.548
16/8/21

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी
जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

पृष्ठां.प्र.क्र.39/17–18/अ–82/भू–अर्जन/रेल्वे/चिरायतनी मुरैना, दिनांक 16/8/2021
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **जौरा**, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, परगना जौरा की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, बामौर संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी
जौरा, जिला मुरैना(म.प्र.)